न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, औरंगाबाद।

जमानत आवेदन संख्या–281/2026

रफीगंज थाना कांड संख्या–536/2025

जितु शर्मा बनाम राज्य

Date	Order	Remark
28.03.2026	अभियुक्त जितु शर्मा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल नियमित जमानत याचिका सं0–281/2026 दिनांक 10.03.2026 आज सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत। यह जमानत आवेदन रफीगंज थाना काण्ड सं0–536/2025 दिनांक 29.12.2025 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 329(3), 3(5) भा.न्या.सं. में नामित अभियुक्त जितु शर्मा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद के समक्ष दाखिल जमानत आवेदन में पारित खारिज आदेश दिनांक 02.03.2026 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है। आवेदक दिनांक 27.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान किया गया है। इस मुकदमे से संबंधित केस डायरी अभिलेख पर संलग्न है। 2. वाद पुकारा गया। उभय पक्ष उपस्थित। जमानत आवेदन को चालित करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा आवेदक द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक एवं सूचक के बीच पूर्व से ही भूमि विवाद न्यायालय में चल रहा है। जिसमें केस उठा लेने के लिए सूचक सोची–समझी नीति के तहत यह मुकदमा दबाव बनाने के लिए किया है। सूचक एवं अन्य ने एक साथ होकर आवेदक के पिता एवं चाचा को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था जिसके लिए रघुवंश सिंह ने रफीगंज थाना काण्ड सं0–537/2025 सूचक एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज कराया था। आवेदक के विरूद्ध रफीगंज थाना काण्ड सं0–338/2021 एवं रफीगंज थाना काण्ड सं0–203/2025 लंबित है। आवेदक संभ्रात परिवार से आता है। जिसकी समाज में अच्छी–खासी प्रतिष्ठा है। आवेदक न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। 3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए बहस किया गया कि वादी के बयान, साक्षियों के बयान तथा संलग्न जख्म रिपोर्ट से अभियुक्त की घटना में संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया कि A.N.M.M.C.H., गया के अनुसार– जख्मी के nasal bone में fracture पाया गया। चोटों की प्रकृति गंभीर है। अतः जमानत आवेदन खारिज किया जाए। 4. उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि सूचक बबन शर्मा के द्वारा थानाध्यक्ष रफीगंज के समक्ष लिखित आवेदन दाखिल किया गया कि दिनांक 29.12.2025 को समय करीब 03:45	

28.03.2026 लगातार	बजे मैं और मेरा चचेरा भाई जितेंद्र घर के बाहर थे। जितु शर्मा, बिटू शर्मा, सुबोध शर्मा, दयानंद शर्मा, अजय शर्मा मेरे मडईनुमा बैठक के सटे उत्तर खानदानी जमीन को बांस से घेरकर कब्जा कर रहे थे। जमीन में गड़े जानवर बांधने वाला खूटा भी उखाड़ रहे थे। इस घटना की सूचना मेरे परिवार के सदस्य द्वारा 112 नं0 पुलिस टीम को दी गई। कुछ ही देर में घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के समक्ष अपनी बातें दोनों पक्ष कह रहा था कि उपरोक्त पांचों व्यक्ति गाली–गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। सुबोध शर्मा के द्वारा अपने दोनों बेटे जितु शर्मा एवं बिटू शर्मा को जान से मारने का आदेश दिया गया, जिसपर जितु शर्मा लाठी से मेरे चचेरा भाई ध ीरेंद्र शर्मा पर जानलेवा प्रहार किया जिससे उसके सिर के नीचे ललाट एवं आंख पर गंभीर चोट लगा तथा वह गिर गया। तथा मुझे बिटू शर्मा लाठी से मारा। कंधा के नीचे लगा और मैं जख्मी होकर गिर गया। जख्मी होने के बाद पुलिस टीम 112 रफीगंज हम दोनों को ईलाज हेतु पी.एच.सी., रफीगंज भर्ती कराई। जहां से मुझे एवं मेरे चचेरे भाई धीरेंद्र शर्मा को A.N.M.M.C.H., गया रेफर कर दिया गया। मेरे चचेरे भाई धीरेंद्र शर्मा की स्थिति काफी गंभीर तथा अर्धमूर्छित है। सूचक बबन शर्मा के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त जितु शर्मा सहित कुल 05 अभियुक्तों के विरूद्ध रफीगंज थाना काण्ड सं0–536 / 2025 दिनांक 29.12.2025 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 329(3), 3(5) भा.न्या.सं. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 5. अभिलेख पर संलग्न केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी में उल्लेखित वादी बबन शर्मा के बयान के अनुसार– सुबोध शर्मा के आदेश पर जितु शर्मा के द्वारा धीरेंद्र शर्मा पर लाठी से जानलेवा प्रहार किया गया जिससे सिर के नीचे ललाट पर गंभीर चोट लगा। इस साक्षी के कथन का समर्थन साक्षी अंकुश कुमार एवं सोनू कुमार ने भी अपने बयान में किया है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इसी घटना को लेकर इस मुकदमे के अभियुक्त के द्वारा इस मुकदमे के सूचक के विरूद्ध रफीगंज थाना काण्ड सं0–537 / 2025 दर्ज कराया गया है। अभियुक्त जितु शर्मा के जमानत आवेदन के अनुसार– जितु शर्मा के विरूद्ध रफीगंज थाना काण्ड सं0–338 / 2021, रफीगंज थाना काण्ड सं0–203 / 2025 लंबित है। परंतु केस डायरी में विवेचक के द्वारा जितु शर्मा के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं किया गया है। केस डायरी में संलग्न जख्मियों के जख्म रिपोर्ट के अनुसार– जख्मी बबन शर्मा के कंधे पर तथा धीरेंद्र शर्मा के Nasal bone पर चोट आया है जिसे सी.टी. स्कैन के लिए रेफर किया गया है। A.N.M.M.C.H.,गया के रेफर टिकट के अनुसार– धीरेंद्र शर्मा के maxillary sinus और nasal bone का fracture का होना पाया	

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, औरंगाबाद।

जमानत आवेदन संख्या–281/2026
रफीगंज थाना कांड संख्या–536/2025
जितु शर्मा बनाम राज्य

28.03.2026 लगातार	गया। अभियोजन द्वारा संलग्न जख्मी धीरेंद्र शर्मा के फोटोग्राफ के अवलोकन से दर्शित होता है कि धीरेंद्र शर्मा के आंख के नीचे कटा घाव है जिसपर टाका लग है। परंतु नाक पर चोट का निशान नहीं दिख रहा है। नाक से मात्र खून बहता दिख रहा है। किसी भी जख्मी के सिर के नीचे ललाट पर चोट का निशान नहीं पाया गया। अतः न्यायालय का अभिमत है कि ये चोटें जानलेवा प्रकृति की नहीं हैं। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभी तक जख्मी धीरेंद्र शर्मा का बयान विवेचक के द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। इसी दिन की घटना को लेकर अभियुक्त की तरफ से सूचक एवं अन्य के विरूद्ध रफीगंज थाना काण्ड सं0–537/2025 दर्ज कराया गया है। अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। 6. उपर्युक्त तथ्यों एवं अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त जितु शर्मा को रुपया 25,000 के दो जमानत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि के निजी मुचलका दाखिल करने पर निम्न शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है कि– (i) अभियुक्त का एक जमानतदार उसके घर का सदस्य होगा, (ii) अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा। विवेचक द्वारा बुलाए जाने पर उसके समक्ष उपस्थित होगा, (iii) अभियुक्त साक्ष्य एवं साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, (iv) अभियुक्त किसी भी प्रकार के अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा। लेखापित (उमेश प्रसाद) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्। व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद।	